

प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का मानसून सत्र, 2018, जो बुधवार, 18 जुलाई, 2018 से आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 24 दिनों की अवधि में कुल 17 बैठकें हुईं।
2. सत्र के दौरान, 22 विधेयक (21 लोक सभा में और 1 राज्य सभा में) पुरःस्थापित किए गए। सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा 21 विधेयक पारित किए गए जबकि राज्य सभा द्वारा 14 विधेयक पारित किए गए। 18* विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए। सत्र के दौरान पुरःस्थापित, विचारित और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची संलग्न है।
3. श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हां-135, नहीं-330 के साथ परास्त किया गया।
4. सत्र के दौरान श्री हरिवंश को उप-सभापति, राज्य सभा के रूप में चुना गया।
5. संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2018 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 के पारण के साथ मानसून सत्र सामाजिक न्याय लाने के प्रति समर्पित रहा।
6. लोक सभा की उत्पादिता 118% और राज्य सभा की 68% रही।
7. सत्र के दौरान, लोक सभा द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा की गई और उन्हें पारित किया गया। इन विधेयकों को दिनांक 07.08.2018 को राज्य सभा में भेजा गया और वहां विचार के लिए नहीं लिया जा सका और चूंकि राज्य सभा में उनके प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है इसलिए इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उनको लोक सभा द्वारा पारित किया गया है।
- 8- राष्ट्रपति द्वारा मानसून सत्र से पहले प्रख्यापित किए गए छह अध्यादेशों अर्थात भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018, दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018, और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।
9. लोक सभा में, नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ और सूखे की स्थिति पर एक अल्पावधि चर्चा आयोजित की गई। राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत (i) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के उपबंधों को कार्यान्वित नहीं किए जाने, और (ii) खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल की वृद्धि और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों (अधूरी) के संबंध में दो अल्पावधि चर्चाएं आयोजित हुईं। राज्य सभा में असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अंतिम मसौदे पर भी एक चर्चा आयोजित की गई।
10. इसके अतिरिक्त, राज्य सभा में देश में हिंसा और भीड़ द्वारा मारपीट की घटनाओं का कारण बनने वाली अफवाहों और झूठी खबरों को फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
11. चार पुराने लंबित विधेयकों अर्थात (i) राष्ट्रीय खेलकूल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017; (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015; (iii) वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017; और (iv) सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 को वापस लिया गया (तीन लोक सभा में और एक राज्य सभा में)।

*लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश हेतु भेजे गए रूप में छह विधेयकों को राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उनको लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

I- लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. मानव दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
2. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018
3. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018
4. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018
5. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
7. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
8. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
9. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
10. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018
11. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
12. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
13. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
14. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
15. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
16. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018
17. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018
18. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2018
19. डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018
20. मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
21. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2018

II- राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

III- लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017
2. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
3. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017
5. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018
6. मानव दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
7. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
8. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
9. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
10. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018
11. संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 - राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के विकल्पी संशोधनों और लोक सभा द्वारा किए गए आगे और संशोधनों के साथ।
12. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
13. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
14. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018
15. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2018
16. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
17. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
18. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
19. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018
20. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
21. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018

IV- राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2018
2. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017
3. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013
4. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2018
5. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
6. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
7. संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017
9. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
10. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
11. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
12. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
13. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
14. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018

V- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018
2. विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 2018
3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018
4. परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
5. स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2018
6. संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) विधेयक, 2018
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2018
8. दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
9. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2018
10. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
11. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
12. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
13. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018
14. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018
15. # विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018
16. # विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2018
17. # केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
18. # एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
19. # संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018
20. # माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018

VI- वापस लिए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2017
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
3. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक, 2017
4. सशस्त्र बल अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश हेतु भेजे गए रूप में विधेयकों को राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उनको लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।